

अहमदनगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2034/237/आजशि/समन्वय/2021. -- छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मण्डल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ को प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए सामाजिक विज्ञान संकाय अंतर्गत मनोविज्ञान केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मनोविज्ञान प.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मनोविज्ञान हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोविज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोविज्ञान सत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोविज्ञान शहीद नहेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय यस्तर जगदलपुर
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय दू.ब.महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय की.दाय.टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग 3. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय भानुप्रताप देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर 4. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय गी.वी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर 5. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जॉजगीर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय बी.सी.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी 2. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान इंद्रीकास कन्या महाविद्यालय, अदिकापुर 3. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर 4. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय फिरोडीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़ 5. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय ई.पी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. भूपेन्द्र सिंह वरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल 2. डॉ. बशीर हसन प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 3. डॉ. जय सिंह शासकीय भानुप्रताप देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर 4. डॉ. (श्रीमती) प्रभावती शुक्ला प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 5. श्रीमती जय श्री पंचागम शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा रांचालनालय, नवा रायपुर



34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास, शासकीय जे. यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. एस. के. द्विवेदी जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर 2. डॉ. अखिलेश पाण्डेय शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर 3. डॉ. मंगला नंद झा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ 4. श्री नितेश कुमार मिश्रा प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 5. डॉ. (श्रीमती) मोना जैन, शासकीय जे. यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	आयुक्त अथवा उपसंचालक, /ओ. एस. डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राचीन भारतीय इतिहास, परविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया सलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता / -

(शारदा वर्मा)

आयुक्त

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2042/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मण्डल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए सांसारिक विज्ञान संकाय अन्तर्गत भूगोल केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

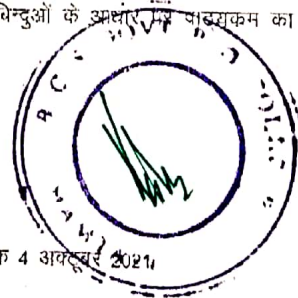
अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उक्त विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूगोल परविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूगोल हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूगोल अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूगोल शहीद गहेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूगोल रात गहिरा पुर विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, रायगढ़ 6. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूगोल शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़



34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, भूगोल शासकीय बी.सी.एस. महाविद्यालय, धमतरी 2. विभागाध्यक्ष, भूगोल, शासकीय महाविद्यालय, वैशालीनगर भिलाई 3. विभागाध्यक्ष, भूगोल, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विलासपुर 4. विभागाध्यक्ष, भूगोल, शासकीय महाविद्यालय, बलौदा जिला-जांजगीर चांपा 5. विभागाध्यक्ष, भूगोल, शासकीय किरौडीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, भूगोल शासकीय महाविद्यालय, कुरुद 2. विभागाध्यक्ष, भूगोल, शासकीय महाविद्यालय, लालबहादुर नगर 3. विभागाध्यक्ष, भूगोल, शासकीय ई.पी.जी. महाविद्यालय, कोरबा 4. विभागाध्यक्ष, भूगोल, शासकीय एन.ई.एस. महाविद्यालय, जशपुर 5. विभागाध्यक्ष, भूगोल, शासकीय कन्या महाविद्यालय, जांजगीर
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. रामभूषण तिवारी इंदिरा गांधी जनजातिय विश्वविद्यालय, अमरकंटक 2. डॉ. श्रीमती शीला श्रीधर शासकीय दू.ब.महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 3. डॉ. जय सिंह साहू शासकीय कमलाटेजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजगांवगांव 4. डॉ. चैतन्य प्रसाद नंद शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, जांजगीर 5. श्री जितेन्द्र कुमार बारले शासकीय कन्या महाविद्यालय, कांकेर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूगोल, परविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।



हस्ता./-

(शारदा वर्मा)

आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2044/237/आउशि/सगन्ध/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए सामाजिक विज्ञान संकाय अन्तर्गत अर्थशास्त्र केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

34(क)(2)(बी) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, फार्मसी शिक्षण विभाग, सत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर रायपुर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. डॉन फार्मसी प.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. पण्डिता, फार्मसी प.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 3. डॉ. नारसी अहिरथर गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर
34(क)(3)(चार) सारान द्वारा अनुशसित कुलाधिपति द्वारा निर्देशित विषय विशेषज्ञ	1. प्रो. प्रफुल्ला एम. सांले आर.टी.एम. विश्वविद्यालय, नागपुर 2. डॉ. संजय ठहरवाल प.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 3. डॉ. राजेन्द्र जांघडे प.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 4. डॉ. दिगाल, जैन प.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 5. विभागाध्यक्ष, फार्मसी शिक्षण विभाग, सत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अम्बिकापुर रायपुर
34(क)(3)(पांच) क्षायुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, फार्मसी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर को उपर्युक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

क्षय्या सलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये विन्दुओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा)

आयुक्त

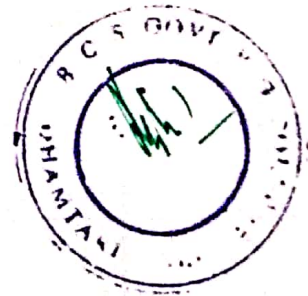
अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2018/237/आजसि/सामन्य/2021- छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत तत्वावधान का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए गृहविज्ञान संकाय अन्तर्गत गृह विज्ञान केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है -

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उच्च विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गृह विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गृह विज्ञान, प.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर



	3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गृह विज्ञान हेमचन्द्र सादव विश्वविद्यालय, दुर्ग 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गृह विज्ञान संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गृह विज्ञान शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर 6. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गृह विज्ञान शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान शासकीय कन्या महाविद्यालय, जशपुर 2. विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतारी 3. विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान होलीकास महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर 4. विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 5. विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान शासकीय वा.वा. पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बालोद 2. विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान शासकीय महाविद्यालय, गिलाई -3 3. विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान शासकीय शबरी कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर 4. विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान शासकीय कमला देवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव 5. विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान शासकीय के.एन.टी. कन्या महाविद्यालय, रायगढ़
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. वर्षा गोपाल डोडिया श्री योगानंद स्वामी महाविद्यालय, नादेड़ महाराष्ट्र 2. डॉ. (श्रीमती) अल्का दुग्गल, शासकीय वा.वा. पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग 3. डॉ. श्रीमती अनुभा झा शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 4. डॉ. क्षिप्रा बैनर्जी शासकीय दू.ब. महिला पी.जी. महाविद्यालय, रायपुर 5. डॉ. श्रीमती सुषमा घई शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	आयुक्त अथवा उपसंचालक / ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गृह विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।



हस्ता. / -

(शारदा वर्मा)
आयुक्त.

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक 786-2/अ.मंडल/अका./2020

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कड़िका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत अंग्रेजी अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|--|
| 28 (2) (i) | 1. निरंक |
| 28 (2) (ii) | 1. प्रो. श्रुति झा, शास. महा., पिथौरा
✓ 2. डॉ. पी.सी. चौधरी, बी.सी.एस. शास. स्नातकोत्तर महा., धमतरी |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. डॉ. सुषमा तिवारी, शास. कला एवं वाणिज्य कन्या महा., देवेन्द्र नगर, रायपुर
2. डॉ. दिव्या चतुर्वेदी, शास. महाविद्यालय, अभनपुर |
| 28 (2) (v) | 1. डॉ. मधु कामरा, दुर्गा महा., रायपुर
2. डॉ. रिमिता शर्मा, मूलविज्ञान केंद्र, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. पी.सी. चौधरी को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।



आदेशानुसार

[Signature]
17.11.20

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक 787/अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वि.क. अधिकारी (अका.)

अधिसूचना

क्रमांक 2060/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए कला संकाय अन्तर्गत अंग्रेजी केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अंग्रेजी परीक्षार्थक शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अंग्रेजी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अंग्रेजी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अंग्रेजी शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अंग्रेजी संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा 6. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अंग्रेजी शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय जे पी. दर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर 2. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय दत्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा 3. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी डी पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर 4. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव 5. विभागाध्यक्ष अंग्रेजी शासकीय एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धांवा
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, अंबिकापुर 2. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय महाविद्यालय, सीपत 3. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय कन्या महाविद्यालय, कांकर 4. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय महाविद्यालय, रामानुजगंज 5. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय महाविद्यालय, गुण्डरदेही
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. विनेता घोषरी हमीदिया विश्वविद्यालय, भोपाल 2. डॉ. नीलू श्रीवास्तव शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव 3. डॉ. देव श्री चक्रवर्ती शासकीय मधुव राव सारे महाविद्यालय, पेण्डारौड 4. श्री शैलेश मिश्रा शासकीय महाविद्यालय, पाटन 5. डॉ. रीता सोनी शासकीय नागार्जुन विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर

1144 (44)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर
--	--

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, कला संकाय अन्तर्गत अंग्रेजी परीक्षार्थक शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया सलग्न प्रिंटेड (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता. /—

34(क)(3)(पाच)आयुक्त, उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	आयुक्त, अथवा उपसंचालक/आयुक्त, उच्च शिक्षा सचालनालय, नवा रायपुर
---	--

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, आधार पाठ्यक्रम पंरविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हरता / -

(शारदा वर्मा)

आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2024/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मण्डल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अन्तर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए विधि सभा के अन्तर्गत विधि केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है -

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, विधि पंरविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल विधि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल विधि हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल विधि शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल विधि संत गहिरो गुरु विश्वविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा 6. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, विधि शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, विधि शासकीय छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, विधि शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर 3. विभागाध्यक्ष, विधि राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर 4. विभागाध्यक्ष, विधि शासकीय धनश्याम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौद 5. विभागाध्यक्ष, विधि शासकीय पी.डी. महाविद्यालय, रायगढ़



34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, विधि शासकीय विधि महाविद्यालय, मातापारा 2. विभागाध्यक्ष, विधि शासकीय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर 3. विभागाध्यक्ष, विधि एस.बी.के.पी. लॉ महाविद्यालय, रायगढ़ 4. विभागाध्यक्ष, विधि सेज आर.सी.एस. विधि महाविद्यालय, दुर्ग 5. विभागाध्यक्ष, विधि शिक्षण विभाग सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर
34 (क) (3) (चार) शासन द्वारा अनुशरीत कुलाधिपति द्वारा निर्देशित विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. बिजयानंद बेहरा लाजपत राय विधि महाविद्यालय रायपुर 2. डॉ. सुरेन्द्र कुमार शासकीय जे.यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 3. डॉ. सपना ताम्रकार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी 4. श्री प्रदीप शर्मा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़ 5. श्री समन नारायण उपाध्याय, विश्वविद्यालय अध्ययन शाला अंबिकापुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन गण्डल, विधि पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये विन्दुओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता / -

(शारदा वर्मा)

आयुक्त,

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2026/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए शिक्षा संकाय अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा केन्द्रीय अध्ययन गण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय को उस विषय के अध्ययन गण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शारीरिक शिक्षा पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शारीरिक शिक्षा हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग





पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

रायपुर, दिनांक: 21/12/2023

क्रमांक 2072-16 अका./अ.मं./2023

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का क्रमांक 22 की धारा 28 की उपधारा 2 की कंडिका (i) से (V) तक के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकायांतर्गत भौतिकी अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:-

धारा	विवरण	सदस्यों का नाम
28(2)(i)	अध्ययनशाला के आचार्य	1. डॉ. नमिता ब्रम्हे, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. डी.पी. बिसेन, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. अनुभा सिंह गौर, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
28(2)(ii)	महाविद्यालय स्तर के दो स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष चक्रानुक्रम में	1. डॉ. जी. नाग भार्गवी, पं.श्यमाचरण शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धरसीवा 2. श्री किशोर चेलक, शास. बी.सी.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी
28(2)(iii)	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला सह-आचार्य के	1. निरंक
28(2)(iv)	महाविद्यालय स्तर के दो स्नातक विभागाध्यक्ष चक्रानुक्रम में	1. डॉ. विकास गुलहरे, शास. जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा 2. डॉ. उमाशंकर भारद्वाज, शास. महाविद्यालय, बिलाईगढ़
28(2)(v)	अधिकतम दो शिक्षकों का माननीय कुलपति जी द्वारा मनोनयन	1. श्री चित्रकांत बेलोडिया, भौतिकी अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. लक्ष्मीकांत, मूलविज्ञान केन्द्र, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी द्वारा डॉ. नमिता ब्रम्हे, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर को अध्ययन मंडल का अध्यक्ष मनोनित किया गया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।



आदेशानुसार,
कुलसचिव

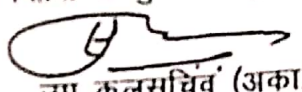
क्रमशः.....2

रायपुर, दिनांक: 21 / 12 / 2023

2073 / अका. / अ. म. / 2023

प्रतिष्ठिति :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित सहायकों को
4. उप कुलसचिव, परीक्षा / सहायक कुलसचिव, गोपनीय विभाग
5. कुलसचिव के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेजित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक 2072-1/अका./अ.मं./2023

रायपुर, दिनांक: 21/12/2023

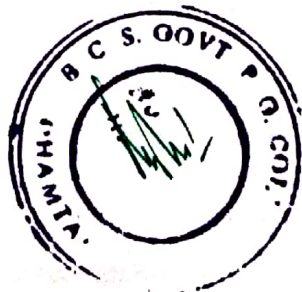
// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का क्रमांक 22 की धारा 28 की उपधारा 2 की कंडिका (i) से (V) तक के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकायांतर्गत इतिहास अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:-

धारा	विवरण	सदस्यों का नाम
28(2)(i)	अध्ययनशाला के आचार्य	1. निरंक
28(2)(ii)	महाविद्यालय स्तर के दो स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष चक्रानुक्रम में	1. डॉ. हेमवती ठाकुर, शास. बी.सी.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी 2. डॉ. शम्पा चौबे, शास. दू.ब. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
28(2)(iii)	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला सह-आचार्य	1. निरंक
28(2)(iv)	महाविद्यालय स्तर के दो स्नातक विभागाध्यक्ष चक्रानुक्रम में	1. डॉ. पूनम सिंह, सेट फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा-राजिम 2. श्रीमती अमिता बिसेन, शास. महाविद्यालय कोहका-नेवरा
28(2)(v)	अधिकतम दो शिक्षकों का माननीय कुलपति जी द्वारा मनोनयन	1. डॉ. डिश्वर नाथ खुटे, इतिहास अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर 2. डॉ. बंशो नुरुटी, इतिहास अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी द्वारा डॉ. शम्पा चौबे, विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग, शास. दू.ब. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को अध्ययन मंडल का अध्यक्ष मनोनित किया गया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।



आदेशानुसार,

[Signature]
कुलसचिव

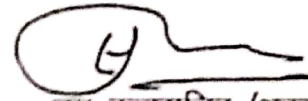
क्रमशः 2

सू. क्रमांक 2073 / अका. / अ. म. / 2023

रायपुर, दिनांक: 21/12/2023

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. उप कुलसचिव, परीक्षा/सहायक कुलसचिव, गोपनीय विभाग
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, परमेश्वर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।


उप कुलसचिव (अका.)